UPMZ010069302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3783 सन 2026

अजब सिंह उर्फ बबलू पुत्र रमेश
निवासी ग्राम नंगला खेप्पड थाना मीरापुर
तहसील जानसठ जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—98 सन 2026
धारा—191 (2), 191 (3), 109 (1)
117 (2), 115 (2)
352, 351 (2)
भारतीय न्याय संहिता
थाना— मीरापुर
जनपद— मुजफ्फरनगर

21.07.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से थाना मीरापुर जनपद मुजफफरनगर के अपराध संख्या—98 सन 2026 धारा—191 (2), 191 (3), 109 (1), 117 (2), 115 (2) 352, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि वास्तविक्ता यह है कि चुटैल रूपेन्द्र द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के परिवार में ब्रहम सिंह के घर जान से मारने की नीयत से हमला करने पहुंचा गया जहां पर काफी लोगों को चोटें आयी। उक्त संबंध में ब्रहमसिंह द्वारा अपराध संख्या 99 सन 2026 अंतर्गत धारा 110, 115 (2),118 (1), 191 (2), 191 (3), 333, 351 (2) व 352 भारतीय न्याय संहिता थाना मीरापुर पर दर्ज कराया गया था।

इसी अनुक्रम में यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। दिखायी गयी बरामदगी फर्जी प्लांट की गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त संभ्रांत परिवार का है तथा उसकी समाज में प्रतिष्ठा है।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 17:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वह एक स्थाई निवासी है तथा उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक तथा वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से लाठी डंडो व लोहे की रोड से मारपीट कर वादिया मुकदमा पक्ष के अरूण, परविन्दर, रूपेन्द्र तथा शिवा को गंभीर चोटें पहुंचायी गयी हैं। इस प्रकार आरोप को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। वादी मुकदमा की ओर से समर्थन में फैहरिस्त सबूत से कथित चुटैलों के रंगीन फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं।

3. उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादिया मुकदमा कुमारी नेहा द्वारा घटना दिनांकित 12.06.2026 समय 16.30 बजे स्थान ग्राम नगला खेप्पड में घ ाटित होने के संबंध में दिनांक 13.06.2026 को समय 1.56 बजे थाना मीरापुर पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसके चाचा रूपेन्द्र के साथ गांव के रिषिपाल के साथ जंगल में किसी बात को लेकर कहासुनी गाली गलौज हो गयी थी। इसी बात को लेकर गांव में रूपेन्द्र, सन्तरपाल को रास्ते में आते हुए गांव के मनोज, बबलू, गोलू, प्रियांशू उर्फ छोटू, सौरभ, रिषिपाल, रविन्द्र तथा सुखपाल ने अपने घर के सामने रोक लिया और जान से मारने की नीयत से लाठी डंडो व लोहे की राड से मारपीट शुरू कर दी। रूपेन्द्र ने शोर मचाया तो बचाने पहुंची वादिया, शिवा, अरूण, प्रवेन्द्र को भी लाठी डंडो व लोहे की रॉड से मारपीट की तथा वादिया के साथ गोलू, प्रियांशू, आरियन, अंशुल व शैंकी ने उल्टी सीधी गाली गलौज करते हुए मारपीट की और सभी लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

6. अतः अभियोजन कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया मुकदमा पक्ष के अरूण, परविन्दर, रूपेन्द्र तथा शिवा को लाठी डंडो व लोहे की रॉड से हमला करके चोटें पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

केस डायरी में चुटैल अरूण, परविन्द्र, रूपेन्द्र तथा शिवा की चिकित्सीय परीक्षण आख्याएं संलग्न हैं। चुटैल अरूण की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. L.W. of size 3 x 0.5 cm present over right side skull, 10 cm above from right ear pinna.
2. L.W. of size 1 x 0.5 cm present over right side of skull, 5 cm away from injury No. 1.

चोटों को साधारण प्रकार की अंकित किया गया है।

चुटैल प्रविन्द्र की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. L.W. of size 8 x 1.5 cm x bone deep over left side of the face. KUO just below left eye. KUO.

चुटैल रूपेन्द्र की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. L.W. of size 4 x 1.5 cm over occipital region of head. KUO.
2. L.W. of size 1 x 0.5 cm over right elbow joint. KUO.
3. Reddish contusion size 6 x 2 cm ... by TS size 7 x 4 cm present over left shoulder. KUO.

चुटैल शिवा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. TS size 3 x 2 cm present over right side of skull, 4 cm above from right ear.
2. Multiple reddish contusion of size in an area 10 x 5 cm present over left back of shoulder.
3. Reddish contusion of size 14 x 3 cm present over left side of the chest.
4. Reddish contusion of size 5 x 2 cm present over left side 5 cm above from left elbow.
5. Reddish contusion of size 4 x 2 cm present over right area 7 cm above from right elbow.

वादिया मुकदमा नेहा व अन्य साक्षीगण द्वारा अपने धारा 180 बीएनएसएस के बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अजब सिंह उर्फ बबलू पुत्र रमेश** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांकः **21**.07.2026